




तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज स्थानान्तरण प्रा0पत्र मु0न0 08/2025 उनवानी सुखवर सिंह बनाम उपखण्डाधिकारी बाडी व अन्य न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
22.07.2025	<p>आज यह पत्रावली पेश हुई। उपखण्डाधिकारी बाडी ने अपने पत्रांक कमांक/राजस्व/2025/380 दिनांक 06.07.2025 से टिप्पणी भिजवाई जो शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी श्री सुखवर सिंह ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सुखवीर बनाम कोमल मु0न0 43/2023 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने यह कथन किया है, कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को खुलेआम धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी तो हमारे जानकार आ गये हैं, अब वह मुकदमे का फैसला किसी भी तरह साम, दाम, दण्ड, भेद से अपने पक्ष में करा लेगे और प्रार्थी को अप्रार्थीगणों की धमकी से ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि वह अपने मुकदमें की पूर्ण रूप से बाडी स्थित न्यायालय में पैरवी करने हेतु सक्षम नहीं है तथा प्रार्थी को यह भी अंदेशा हो गया है, कि अप्रार्थीगण चलाव वाले व्यक्ति होने के कारण पीठासीन अधिकारी से मिलजुल कर अपने पक्ष में फैसला करा सकते हैं। इसलिये न्याय हित में उक्त प्रकरण के निस्तारण व सुनवाई हेतु अन्य दीगर सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रार्थी की ओर से अरूण उप्रेती एडवोकेट तथा अप्रार्थी की ओर से हरिवीर सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण/उनके अभिभाषक की ओर से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई लिखित जबाब पेश नहीं किया गया।</p> <p>उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी की टिप्पणी प्राप्त की गई। उपखण्डाधिकारी बाडी ने अपनी टिप्पणी पत्रांक कमांक/राजस्व/2025/380 दिनांक 06.07.2025 में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है, कि यदि उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>हमने उपस्थित दोनों पक्षों के अभिभाषको को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं उपखण्डाधिकारी बाडी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने उक्त प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की सहमति जाहिर की।</p> <p>अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी बाडी में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सुखवीर बनाम कोमल मु0न0 43/2023 को न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उपखण्डाधिकारी</p>	


जिला कलक्टर
धौलपुर

बाडी को निर्देशित किया जाता है, कि वह प्रकरण की मूल पत्रावली को न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर को भिजवावे। उक्त आदेशिका की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी/धौलपुर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।


(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

